

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत श्री संजय कुमार (कोटि क्रमांक-13/2024), जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उनके अपने ही वेतनमान में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु कॉलम-5 में अंकित जिला में अगले आदेश तक निम्नवत पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	नाम एवं कोटि क्रमांक/ पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार, 13/2024 जिला आपूर्ति पदाधिकारी	जहानाबाद	निगम मुख्यालय, पटना (पदस्थापन की प्रतीक्षा में)	नवादा	अभ्यावेदन के आधार पर

2. श्री संजय कुमार अविलंब नव पदस्थापित जिला में अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03-स्था0(जि0अ0प0)-01/2025 3312 खाद्य, पटना/दिनांक-28/11/2025
प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, नवादा/मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन),
बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा/
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार
(Email Id- sanjaykr.beur@gmail.com), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र03-स्था0(जि0अ0प0)-01/2025 3312 खाद्य, पटना/दिनांक-28/11/2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त
सचिव/प्रधान सचिव कोषांग/सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Handwritten signature